पु०नं० 26/2022 अनवान राजेन्द्रपाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जा
24/01/2022	प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत शिविर खोथांवाली में पेश होकर प्रार्थी श्री प्रदीरप कुमार पुत्र श्री राजेन्द्रपाल जाति बिश्नोई साकिन पदमपूर ने रा.भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत दरख्वास्त पेश की है कि चक 10 बीएलडब्ल्यू की जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 खाता सं. 05 में प्रदीप पुत्र राजेन्द्र दर्ज रिकॉर्ड है जबकि इनका सही नाम प्रदीप कुमार पुत्र राजेन्द्र पाल है। अतः इनका नाम प्रदीप कुमार पुत्र राजेन्द्र पाल करने हेतु निवेदन किया गया है। प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार से रिपोर्ट ली गई। प्रधानाचार्य रा0उ0मा0वि0 83 एलएनपी व अमृतपाल सिंह, कृषि प्रर्यवेक्षक खोथांवाली द्वारा गवाही दी गई कि प्रदीप पुत्र राजेन्द्र व प्रदीप कुमार पुत्र राजेन्द्र पाल दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है। सरपंच ग्राम पंचायत 83 एलएनपी पंचायत समिति पदमपुर जिला श्री गंगानगर द्वारा पहचान कर प्रमाण पत्र जारी किया गया है। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत साक्ष्यों, सरपंच द्वारा जारी पहचान प्रमाण–पत्र, दो सरकारी कार्मिकों की गवाही तथा उपतहसीलदार गोलुवाला रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील पीलीबंगा चक 10 बीएलडब्ल्यू के खाता सं. 05 में प्रदीप पुत्र राजेन्द्र की जगह प्रदीप कुमार पुत्र राजेन्द्र पाल नाम शुद्ध किया जाता है। शेष प्रविष्टि यथावत रहेगी। तहसीलदार पीलीबंगा पालना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसलाशुमार हो दाखिल दफ्तर की जाती है। Signature Not Verified Digitally signed by Ranjeet Kumar Date: 2022.04.24 16:51:21 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) पीलीबंगा	